उपखण्ड **कठूमर जिला अलवर**

...नंबर 3/21/22 तारीख रजू................

...ता का मुरारी **बनाम** रतन वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/7/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्र० पत्र 128 LRA प्रार्थी के वकील ने पेश किया गया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्र० पत्र दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि० ए०डी० से तलब हो कर पत्रावली वास्ते तलब दिनांक 18/8/22 को पेश हो। [signature] SDM	
18/8/22	[illegible] एस०/P.O. वाहृय अ०न्य कार्य व्यस्त पत्रावली दिनांक 20/10/22 को पेश हो। [signature]	
20/10/22	वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण बावजूद रजि० एडी उप० नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्र० पत्र दिनांक 25/11/22 को पेश हो। [signature] SDM	
25/11/22	वकील प्रार्थी ....उपस्थित। पूर्व आदेश दिनांक 20/10/22 की पालना में पत्रा. भी वास्ते बहस प्र० पत्र दिनांक 30/1/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/1/23		

3/4/23	सुनील प्रजापत ... उपखण्डाधिकार साबिक आदेश दिनांक........................ की पालना में पत्रावली वास्ते .... प्रार्थना पत्र दिनांक........ 4/5/23 .... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर
11/5/23	मुताबिक केंसिल P.O. साहब ..... अनिवार्य .... पत्रावली दिनांक 29/9/23 को पेश हो।
29.9.23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना-पत्र 128 LR Act बहस सुनी गयी वास्ते आदेश दिनांक 6/10/23 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
6/10/23	वकील प्रार्थी उपस्थित समय आभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया गया वास्ते आदेश दिनांक 9/10/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
9/10/23	वकील प्रार्थी उपस्थित अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसील कठूमर को इस आशय की तहरीर जारी हो कि उक्तानुसार पालना की जाकर [illegible]। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ता० कि० किया गया पत्रावली में शामिल शुमार होकर बाद तामील जिला रिकार्ड दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्डअधिकारीकठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनियांआर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/21/2022

वउनवान

1. मुरारी पुत्र सुकला जाति मीना निवासी घोसराना तहसील कठूमर
2. रामकिशोर दत्तक पुत्र बुद्दा जाति मीना निवासी घोसराना तहसील कठूमर

प्रार्थीयान

बनाम

1. रतन पुत्र घम्मन जाति मीना निवासी घोसराना तहसील कठूमर
2. रामरूप पुत्र घम्मन जाति मीना निवासी घोसराना तहसील कठूमर
3. तहसीलदार साहव तहसील कठूमर जिला अलवर।

अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–श्री राधाबल्लभ शर्मा एडवोकेट–अधिवक्ता प्रार्थीयान

आदेश दिनांक 09.10.2023

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 317 रकवा 0.35 हे. प्रार्थीयान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ग्राम घोसराना तहसील कठूमर में स्थित है इस आराजी के तरफ पूर्व चपेटवां खसरा नम्बर 316 रकवा 0.06 हे. घम्मन पुत्र ख्याली जाति मीना के 1/2 हिस्सा तथा रमेश, विश्राम, हरी के 1/2 हिस्सा की खातेदारीग्राम घोसराना में स्थित है। घम्मन फौत हो चुका है जिसके वारिस उसके पुत्र अप्रार्थी सं0 1–2 ही है। अप्रार्थीयान वो रमेश वगैरा वो उसकी माता के आपसी समझौते से खसरा नम्बर 316 अप्रार्थीयान के कब्जे काश्त में है। अप्रार्थीयान ने दिनांक 06.07.2022 को खसरानम्बर 317 व खसरा नम्बर 316 की मेड को तोडकर तथा खसरा नम्बर 317 के करीब दो गढा रकवा को खसरा नम्बर 316 में दवालिया है कि जिसमेड वो खसरा नम्बर 317 की दबाई गई

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

आराजी वो मेड पर अप्रार्थीयान विधि विरूद्व तरीके से कब्जा बनाये हुये है।प्रार्थीयान खसरा नम्बर 317 की मुताविक जमाबन्दी वो नक्शा ट्रेस पैमाइस (सीमा ज्ञान) कराकर मेड सम्बन्धी विवाद (बाउण्ड्री डिसपूट) को खत्म करवाने तथा खसरा नम्बर 317 व खसरा नम्बर 316 की मेड (बाउण्ड्री) करवाने के अधिकारी है जिसके लिये अप्रार्थीयान ने प्रार्थीयान से दिनांक 11.07.2022 को कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया जवकि अप्रार्थीयान को ऐसा करने का वो कहने का कोइ 'हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थीयान के इस कृत्य से प्रार्थीयान के हक हकूक खत्म होते है।

अतः प्राथीयान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 317 रकवा 0.35 हे. वाके ग्राम घोसराना तहसील कठूमर की पैमाइस (सीमा ज्ञान)कराकर पैमाइस के अनुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलवी के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये।

अप्रार्थीयान वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 20.10.2022 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में जमाबन्दी हाल संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम घोसराना की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयान की एकपक्षिय वहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 317 वाके ग्राम घोसराना प्रार्थीयान की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 316 धम्मन के 1/2 हिस्सा रमेश, विश्राम, हरी के 1/2 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज है।प्रार्थीयान का कथन है कि अप्रार्थीयान ने खसरा नम्बर 317 व खसरा नम्बर 316 की मेड को तोड कर तथा खसरा नम्बर 317 की करीब दो गटठा भूमिको खसरा नम्बर 316 में दवालिया है।खसरा नम्बर 317 की मुताविक जमाबन्दी वो नक्शा ट्रेस पैमाइस (सीमा ज्ञान) कराकर मेड सम्बन्धी विवाद (बाउण्ड्री डिसपूट) को खत्म करवाने तथा खसरा नम्बर 317 व खसरा नम्बर 316 की मेड (बाउण्ड्री) करवाई जाये। अप्रार्थीयान वावजूद तामील उपस्थित नही आये। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयान की एकपक्षिय वहस पर मनन करने पर प्रार्थीयान अपनी आराजी खसरा नम्बर 317 वाके ग्राम घोसराना की पैमाइस कराकर मुताविक पैमाइस अपने खर्चे से पत्थरगढी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयन स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि वो आराजी खसरा नम्बर 317 रकवा 0.35 हे. वाके ग्राम घोसराना तहसील कठूमर की विधि के अनुसार पैमाइस कराकर मुताविक पैमाइस रिपोर्ट प्रार्थीयान के खर्चे परपत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे । आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे ।पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

सुनील कुमार झिंगोनिया
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अतः यह आदेश आज दिनांक 09.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार झिंगोनिया
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०